

15-8-16

राजस्व लोक न्यायालय काप आपने डार के
 तहत उपपक्षों को सुनवाई हेतु नोटिस
 जारी होने के बाद पत्रावली प्राप्त राजस्व
 लोक न्यायालय प्रत्येक दिन सुबह पत्रावली
 पर ध्यान देनी जारी। पत्रावली पर वकील उपपक्ष
 द्वारा वाद का निस्तार हो जाने के इत
 प्राप्ति के चलते का कोई प्रतिक्रिया नहीं है।
 अतः प्राप्ति इली स्टेज पर रकारिज। किप
 जसा है पत्रावली फिलियुम्बर होकर रकार
 के रूप में तब शक्ति द्वारा वाद हो

18 गोपाप

 उदय
 क

क